



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 19 जनवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन)
विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 38(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

(ए) पैराग्राफ 1 में, (जी) और (एच) खंडों में "और अवरुद्धता अवधि" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(बी) पैराग्राफ 1 में, खंड (i) में "अवरुद्धता अवधि और" एवं "बशर्ते वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा, समय-समय पर जारी अवरुद्धता अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की शर्त के तहत हों," शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(सी) पैराग्राफ 1बी में, खंड (i) में "लॉक-इन अवधि और एवं" बशर्ते ये उपर्युक्त निवेशक ऐसे बांड/यूनिट की खरीद-बिक्री लॉक-इन-अवधि के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि हेतु पात्र अनिवासी निवेशक के बीच ही करें" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(डी) पैराग्राफ 1बी में, खंड (ii) में "सेवी और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं" शब्दों को "रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट नियमों व

शर्तों एवं सीमाओं के अधीन प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ई) पैराग्राफ 1बी में, खंड (ii) के बाद एक नया खंड (iii) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) दीर्घावधि निवेशक यथा सरकारी संपदा निधियां (SWFs), बहुउद्देश्यीय एजेंसियां (MAs), धर्मादा निधियां (EFs), बीमा निधियां (IFs), और पेंशन निधियां (PFs) जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों में निवेश करने हेतु पात्र अनिवासी निवेशक के रूप में सेबी के पास पंजीकृत हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सीमाओं में, प्रत्यावर्तन के आधार पर, रुपए में मूल्यवर्गीकृत कारपोरेट बांडों की खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी केन्द्रीय बैंक इस अधिसूचना की तारीख से विनिर्दिष्ट सीमाओं में, प्रत्यावर्तन के आधार पर, रुपए में मूल्यवर्गीकृत कारपोरेट बांडों की खरीद कर सकते हैं।”

[सं. फेमा. 255/2013-आरबी]

डॉ. सुजाता एलिजाबेथ प्रसाद, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि 406(अ) द्वारा प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :—

- सं. सा.का.नि. 158(अ), दिनांक 02-03-2001
- सं. सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 13-03-2001
- सं. सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 14-03-2001
- सं. सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 02-01-2002
- सं. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 19-08-2002
- सं. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 18-03-2003
- सं. सा.का.नि. 225(अ), दिनांक 18-03-2003
- सं. सा.का.नि. 558(अ), दिनांक 22-07-2003
- सं. सा.का.नि. 835(अ), दिनांक 23-10-2003
- सं. सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 22-11-2003
- सं. सा.का.नि. 12(अ), दिनांक 07-01-2004
- सं. सा.का.नि. 278(अ), दिनांक 23-04-2004
- सं. सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 16-07-2004
- सं. सा.का.नि. 625(अ), दिनांक 21-09-2004
- सं. सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 08-12-2004
- सं. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 01-04-2005
- सं. सा.का.नि. 202(अ), दिनांक 01-04-2005
- सं. सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 25-07-2005
- सं. सा.का.नि. 505(अ), दिनांक 25-07-2005
- सं. सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 29-07-2005
- सं. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 22-12-2005
- सं. सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 19-01-2006
- सं. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 11-07-2006
- सं. सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 14-11-2007
- सं. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 14-11-2007
- सं. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 29-11-2007
- सं. सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 05-08-2008
- सं. सा.का.नि. 896(अ), दिनांक 30-12-2008
- सं. सा.का.नि. 851(अ), दिनांक 01-12-2009

- सं. सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 21-04-2010
 सं. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 03-08-2012
 सं. सा.का.नि. 796(अ), दिनांक 30-10-2012
 सं. सा.का.नि. 797(अ), दिनांक 30-10-2012
 सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 सं. सा.का.नि. 795(अ), दिनांक 30-10-2012
 सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th January, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 38(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely :—

1. Short Title and Commencement.—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2013.
 (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Schedule 5,

- (a) In paragraph 1, in clauses (g) and (h) the words “and lock-in period” shall be omitted.
 (b) In paragraph 1, in clause (i), the words “lock-in period” and provided “that the FIIs may trade such bonds/units amongst the eligible non-resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock-in period” shall be omitted.
 (c) In paragraph 1B, in clause (i), the words “lock-in period and” and “provided that aforementioned investors may trade such bonds/units amongst the eligible non-resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock-in period” shall be omitted.
 (d) In paragraph 1B, in clause (ii), for the words “dated Government securities subject to the terms and conditions as stipulated by the SEBI and Reserve Bank from time to time.” the words “dated Government Securities, subject to the terms and conditions and the limits as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time.” shall be substituted.
 (e) In paragraph 1B, after clause (ii) a new clause (iii) shall be added, namely :—
 (iii) “Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds and Pension Funds registered with SEBI as eligible non-resident investors in Infrastructure Debt Funds may purchase Rupee denominated corporate bonds on repatriation basis within the limits as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time. In addition, Foreign Central Banks may purchase rupee denominated corporate bonds on repatriation basis within the limits from the date of this Notification.”

[No. FEMA. 255/2013-RB]

Dr. SUJATHA ELIZABETH PRASAD, Chief General Manager-In-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

- No. G.S.R. 158(E), dated 02-03-2001
 No. G.S.R. 175(E), dated 13-03-2001
 No. G.S.R. 182(E), dated 14-03-2001
 No. G.S.R. 4(E), dated 02-01-2002
 No. G.S.R. 574(E), dated 19-08-2002
 No. G.S.R. 223(E), dated 18-03-2003
 No. G.S.R. 225(E), dated 18-03-2003
 No. G.S.R. 558(E), dated 22-07-2003
 No. G.S.R. 835(E), dated 23-10-2003
 No. G.S.R. 899(E), dated 22-11-2003
 No. G.S.R. 12(E), dated 07-01-2004
 No. G.S.R. 278(E), dated 23-04-2004
 No. G.S.R. 454(E), dated 16-07-2004
 No. G.S.R. 625(E), dated 21-09-2004
 No. G.S.R. 799(E), dated 08-12-2004
 No. G.S.R. 201(E), dated 01-04-2005
 No. G.S.R. 202(E), dated 01-04-2005
 No. G.S.R. 504(E), dated 25-07-2005
 No. G.S.R. 505(E), dated 25-07-2005
 No. G.S.R. 513(E), dated 29-07-2005
 No. G.S.R. 738(E), dated 22-12-2005
 No. G.S.R. 29(E), dated 19-01-2006
 No. G.S.R. 413(E), dated 11-07-2006
 No. G.S.R. 712(E), dated 14-11-2007
 No. G.S.R. 713(E), dated 14-11-2007
 No. G.S.R. 737(E), dated 29-11-2007
 No. G.S.R. 575(E), dated 05-08-2008
 No. G.S.R. 896(E), dated 30-12-2008
 No. G.S.R. 851(E), dated 01-12-2009
 No. G.S.R. 341(E), dated 21-04-2010
 No. G.S.R. 606(E), dated 03-08-2012
 No. G.S.R. 796(E), dated 30-10-2012
 No. G.S.R. 797(E), dated 30-10-2012
 No. G.S.R.dated
 No. G.S.R. 795(E), dated 30-10-2012
 No. G.S.R.dated
 No. G.S.R.dated